

22

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,  
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3-73/2013/32  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

1. कलेक्टर,  
जिला भोपाल
2. संयुक्त संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,  
भोपाल ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत भोपाल
4. आयुक्त  
नगर निगम भोपाल ।

487/SC  
25/4/15

विषय :-भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण बाबत।

राज्य शासन ने भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।  
संलग्न :- यथोपरि

संचालनालय	
नगर तथा ग्राम निवेश	
क्र. क्रमांक	487
	23/4/15
पू.क्र.0	एफ 3-73/2013/32
जा.	T.C.
प्रतिलिपि :-	
अधीक्षक	अयुक्त

(एस के मुदगल)  
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
भोपाल दिनांक 17/4/2015

आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

(एस के मुदगल)  
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
16/4/15

DD TC  
25/4/15

ADMCS

27/4/15

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 17-4/2015

क्रमांक-एफ-3-73/2013/32 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 ( क्रमांक -1 सन् 2012), की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम बैरागढ़ चीचली	476 489	5.80 0.87	कृषि एवं वृक्षारोपण (नहर)	आवासीय एवं वृक्षारोपण (नहर) शर्तें:- 1.कोलार मुख्य मार्ग से जाने वाले वर्तमान 4.4 मीटर चौड़े मार्गको 24 मीटर, चौड़ा करना अनिवार्य होगा । 2.नहर के पूर्व दिशा में जाने वाले 3 मीटर चौड़े वर्तमान डामर मार्ग को 18 मीटर चौड़ाई करना अनिवार्य होगा । 3.नहर के पश्चिम दिशा में जाने वाले 5.6 मीटर चौड़े वर्तमान डब्ल्यू वी एम मार्ग को 18 मीटर चौड़ाई करना अनिवार्य होगा । 4.प्रश्नाधीन भूमि के मध्य से निकलने वाली नहर के दोनो ओर तथा केरवा नदी के किनारे से भोपाल विकास योजना 2005 के प्रावधानो के अनुरूप खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा ।
		योग-	6.67 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल तथा [www.mptownplan.nic.in](http://www.mptownplan.nic.in) वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( एस के मुद्गल )

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
16/6/2018

**Government of Madhya Pradesh**  
**Urban Development And Environment Department**  
**MINISTRY**

*Notice for modification in development Plan*

Bhopal, Dated 17-4-15

No. F-3-73/13/32 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (d) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Bhopal Development Plan 2005 as specified in the schedule hereunder, namely :-


**SCHEDULE**

No.	Village	Khasara No.	Area (in hec)	Land use specified in the development plan	Modified land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Gram Bairagarh Chichli	476 489	5.80 0.87	Agriculture and Afforestation (Canal)	Residential and Afforestation (Canal) <u>Conditions :-</u> 1. Existing 4.4 mt. wide road from kolar main road shall be widened to 24 mts. 2. Existing 3.0 mt. wide tar road in the east direction of Canal shall be widened to 18 mts. 3. Existing 5.6 mt. wide W.B.M. road in the west direction of Canal shall be widened to 18 mts. 4. Open area, around both side of canal passing through the land, and along kerwa river shall be left as per provisions of Bhopal master plan 2005.
		<b>Total</b>	6.67 hec.		

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, Bhopal as well as on the web site. [www.mptownplan.nic.in](http://www.mptownplan.nic.in) for a period of 15 days from the date of publication of this notice. Any

objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Environment Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the  
Governor of Madhya Pradesh,



( S.K.Mudgal )

Deputy Secretary

Government of Madhya Pradesh

Urban Development And

Environment Department

*16/4/1985*